



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया



Office of the Executive Engineer, Ty. Divi., PWD, Sahiya, Dehradun Uttarakhand

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: [eepwdsahiyakalsi@gmail.com](mailto:eepwdsahiyakalsi@gmail.com)

पत्रांक : 952/6सी0  
सेवा में,

दिनांक 10 / 06 / 2026

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग चकराता,  
कालसी,

**विषय:-** जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरु - ललरु मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (0.665 है0) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

**सन्दर्भ:-** सैद्धान्तिक स्वीकृति शासनादेश संख्या -1585/X-3-21/1(119)/2021 दिनांक 22.12.2021 महोदया,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त वर्णित मार्ग में वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं0-1585/X-3-21/1(119)/2021 दिनांक 22.12.2021 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून के पत्र सं0 2894/12-1 दिनांक 30.05.2025 द्वारा प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हुए प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं0 5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि नई दरों से जमा की जानी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं0 3513/12-1 दिनांक 16.04.2026 द्वारा सी0ए0 की अवशेष धनराशि का डिमांड नोट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त डिमांड नोट के क्रम में सी0ए0 की धनराशि AD. HOC. CAMPA FUND के नाम जमा कर दी गयी है। उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित कि जा रही है:-

क0 स0	बिन्दु जिनकी सूचना चाही गयी है	बिन्दुवार सूचना का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं0 4845/12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू0 161000.00 मात्र पूर्व में जमा कर दी गयी हैं। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं0 3513/12-1 दिनांक 16.04.2026 द्वारा प्राप्त सी0ए0 की अवशेष धनराशि रू0 74800.00 मात्र जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं0 4845/12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू0 668464.00

		मात्र पूर्व में जमा कर दी गयी हैं (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	मान्य हैं। (वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0- 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चकराता, वन प्रभाग चकराता के द्वारा प्राप्त पत्र सं0 4845/12-1 दिनांक 25.06.2023 में इंगित आवश्यक धनराशि रू0 829464.00 मात्र पूर्व में जमा कर दी गयी हैं। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के पत्र सं0 3513/12-1 दिनांक 16.04.2026 द्वारा प्राप्त सी0ए0 की अवशेष धनराशि रू0 74800.00 मात्र जमा कर दी गयी है। (चालान की छायाप्रति संलग्न)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संसत्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	मान्य हैं।
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	मान्य हैं।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारों बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य हैं।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	मान्य हैं।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयगत मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता

अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

अधिशासी अभियन्ता  
अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया

पत्रांक /

दिनांक /06/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरागर, फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित (संलग्न सहित)।
- 2 जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3 अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित
- 4 सहायक अभियन्ता द्वितीय, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5 वनभूमि सहायक/खण्डीय अमीन, अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित ।

अधिसासी अभियन्ता

**AGENCY COPY**

**यूनियन बैंक Union Bank of India**

**Challan for collection of CAMPA fund**  
Date : 04-06-2026

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	61123339316
MoEF/SG File No.	1(119)/2021
Address.	Executive Engineer, ty. division, PWD, Sahitya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(In Rs)	74800/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words :Seventy-Four Thousand Eight Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

**CAMPA-MOEF Copy**

**यूनियन बैंक Union Bank of India**

**Challan for collection of CAMPA fund**  
Date : 04-06-2026

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PIF/Application No.	61123339316
MoEF/SG File No.	1(119)/2021
Address.	Executive Engineer, ty. division, PWD, Sahitya Dehradun Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdsahiyakalsi@gmail.com 9456745631 1360-274595
Amount(In Rs)	74800/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount In Words :Seventy-Four Thousand Eight Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank's Transaction Number Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesk


**Note:** After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankof


## प्रारूप-34


परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

### भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

  
अपर सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया


  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया


## प्रारूप-51


परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

### एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा ।

  
अपर सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया


  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया

  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

वन भूमि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा ।

  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को वन विभाग को यथासमय भुगतान कर दिया जायेगा ।

९  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ -ललउ मोटर मार्ग से ग्राम गौथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन ।

पेड़ों की कटाई की लागत जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम की जाएगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में कटेंगे तथा पेड़ों की कटाई की लागत राज्य वन विभाग के पास जमा कर दी जाएगी।

  
अधिसासी अभियन्ता  
अखण्ड खण्ड लो०नि०वि०  
सहिया